

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर  
सीगा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र

प्रकरण सं. 136 / 2025 (GCMS 2025/212)

कमलजीत कौर पत्नी मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 24 एफएफ क्रय-विक्रय  
सहकारी समिति के पास, गजसिंहपुर तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), पदमपुर
2. जगमेल सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 24 एफएफ  
तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर

04.06.2025

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर उपस्थित हुए और फर्द अहकाम के  
हाशिये पर नॉट प्रैस (Not Press) अंकित कर निवेदन किया कि वे उक्त पत्रावली में  
आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, इसलिए उनकी पत्रावली इसी आधार पर दाखिल  
दफ्तर कर दी जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी,  
पदमपुर के न्यायालय के प्रकरण अनवानी जगमेल सिंह बनाम कर्मजीत कौर वगै.  
अन्तर्गत आदेश धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकार अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने  
की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह मुंतकिली  
प्रार्थना पत्र पेश किया था। अब चूंकि वह आगे इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं  
चाहते हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित  
होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी कमलजीत कौर द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल  
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पालनार्थ  
भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले  
न्यायालय में सुनाया गया।



जिला कलक्टर  
श्रीगंगानगर